

सं. वीपीएस -27/01/2017-प्रशासन
उपराष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली


6 जनवरी, 2017

कार्यालय आदेश सं. 06/2017

विषय : कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निवारण – केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण)
नियमावली, 1964 और शिकायत निवारण तंत्र का गठन

इस सचिवालय के कार्यालय आदेश सं. 22/2011 दिनांक 07 मार्च, 2011 के क्रम में, तीन सदस्यीय शिकायत निवारण समिति का विवरण निम्नानुसार है:

- | | |
|--|---------|
| 1. श्रीमती हुरबी शकील, अवर सचिव | अध्यक्ष |
| 2. श्री पवन सिंह बिष्ट, अनुभाग अधिकारी
पदेन सदस्य | सदस्य |
| 3. श्रीमती अमिता गौड़, कनिष्ठ लिपिक, राज्य सभा सचिवालय | सदस्य |


(अशोक दीवान)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि:

1. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव का कार्यालय।
2. भारत के उपराष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी।
3. संयुक्त सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय।
4. श्रीमती हुरबी शकील, अवर सचिव।
5. श्री पवन सिंह बिष्ट, अनुभाग अधिकारी।
6. श्रीमती अमिता गौड़, कनिष्ठ लिपिक, राज्य सभा सचिवालय।
7. सभी अधिकारी/अनुभाग/ वैयक्तिक सहायक तथा लेखा अनुभाग।
8. एन.आई.सी. अनुभाग, आवश्यक कार्रवाई हेतु।